संख्याः 51/2016/810/तीस-1-2016-5(47)/2013

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 20 दिसम्बर, 2016**

विषयः जनपद आजमगढ़ मे उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर शासनादेश संख्या-07/1221/तीस-1-2014-5(47)/2013, दिनांक 17.12.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 17.12.2014 द्वारा जनपद आजमगढ़ में बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित कुल धनराशि रू० 1341.90 लाख में से भवन के बाहर स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग मद की धनराशि रू० 10.46 लाख को घटाकर शेष धनराशि रू० 1331.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 532.576 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त के पश्चात शासनादेश संख्या-41/2015/1439/तीस-1-2015-5(5)/2013, दिनांक 30.11.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 532.576 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, है।

3- कालान्तर में प्रायोजना प्रस्ताव में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित कुल लागत रू० 1341.90 लाख में सम्मिलित रू० 10.46 लाख के भवन के बाहर स्ट्रक्चरल

http://basanadesh.up.nic.in

ग्लेजिंग के कार्य को कराये जाने के संबंध में विचार किया गया और मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से शासनादेश संख्या-24/2016/345/तीस'1-2016-5(47)/2013, दिनांक 07.04.2016 द्वारा रू० 10.46 लाख की प्रारम्भिक लागत के स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग के उक्त कार्य को कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4- उपरोक्त के पश्चात प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र संख्या-301बी/डीए/पूर्व/16-09जेईटी/वि/12-13, दिनांक 18.04.2016 द्वारा रू0 1700.66 लाख का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है। उक्त पुनरीक्षित आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त लागत रू0 1619.56 लाख आंकलित की गयी है, जिसमें निम्न विवरण के अनुसार उच्च विशिष्टियों की श्रेणी के कार्य सम्मिलित है:-

क्रम संख्या	मद	लागत
1.	विजन ग्लास पैनल	रू० 33,35,339.05
2.	फाल्स सिलिंग	रू० 12,97,004.81
3.	ए०सी०पी० ग्लेडिंग	रू० 1,59,015.64
4.	मल्टीवाल पालीकार्बोनेट शीट	रू० 8,97,000.00
	योग	रू० 56,88,359.50 अर्थात रू० 56.88 लाख

5- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17.12.2014 एवं शासनादेश दिनांक 07.04.2016 के क्रम में बस स्टेशन जनपद आजमगढ़ के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण की गतिशील प्रक्रिया में भवन के बाहर स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग का कार्य, जिसकी पुनरीक्षित लागत उपरोक्त प्रस्तर-4 के अनुसार रू0 56.88 लाख आंकलित की गयी है, कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

http://shasnadesh.up.nic.in

6- अत: अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीया,
ह०
(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्याः51/2016/810/(1)/तीस-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
3. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
4. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।**
5. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।**
6. **वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।**
7. **वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।**
8. **वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।**
9. **नियोजन अनुभाग-4 ।**
10. **वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।**
11. **निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।**
12. **गाई फाइल।**

आज्ञा से,
ह०
(सन्त लाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in